रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

तंत्र सुधार (पी : एसआई) प्रवर्ग की स्कीमों के लिए दिशा-निर्देश

1. दिशानिर्देश

ये दिशा-निर्देश पारेषण, उप-पारेषण और संवितरण प्रणालियों के तंत्र सुधार के उद्देश्य से स्कीमों के पी : एसआई वर्ग (राज्य और केंद्रीय सेक्टर कर्जदारों और सीपीएसयू) के अधीन ऋणों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन करने, उन्हें वित्तपोषित करने और उनका आहरण करने में सहायता करने के लिए हैं तथा वे इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों को अधिक्रंत करेंगे ।

2. स्कीम के उद्देश्य

स्कीमों का जोर मुख्य रूप से निम्नलिखित पर होना चाहिए :

i) पारेषण, उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों में तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों में कमी लाना ।

ii) अगले पांच वर्षों के लिए परियोजना क्षेत्र में भार के विकास के लिए पर्याप्त प्रणाली समर्थन उपलब्ध कराना ।

iii) विद्युत की निष्क्रमण, पारेषण, उप- पारेषण और वितरण प्रणालियों के लिए अपेक्षित अवसंरचना (लाइनें/उपकेंद्र आदि) उपलब्ध कराना ।

iv) वोल्टता विनियमन में सुधार करना जिससे कि इसे अनुज्ञेय सीमा के भीतर लाया जा सके ।

v) विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना ।

vi) उप- पारेषण और वितरण तंत्र में विद्युत वहनीयता में सुधार करना जिससे कि उपलब्ध प्रणाली क्षमताओं के उपयोग को अनुकूल बनाया जा सके ।

vii) कंप्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिक संबंधी परियोजनाओं, लोड डिस्पेच, एससीएडीए, संचार, जीआईएस, अनुसंधान और विकास आदि जैसी नवीन प्रौद्योगिकी को आरंभ करना ।

viii) ऊर्जा की लेखा परीक्षा ।

3. स्कीम क्षेत्र

उप- पारेषण और वितरण स्कीमों के लिए स्कीम क्षेत्र सामान्यत: न्यूनतम रूप से एक जिला या तहसील या इलैक्ट्रिकल प्रभाग तथा पारेषण स्कीमों के लिए एक सर्कल होगा । तथापि, उस दशा में जहां पूर्वोक्त अनुबंधों का अनुपालन संभव नहीं है, वहां मामले के विनिर्दिष्ट गुणावगुण के आधार पर अन्य स्कीमों पर विचार किया जा सकेगा ।

4. संकर्मों का परिधि क्षेत्र

परियोजना मुख्य रूप से तंत्र सुधार और साथ ही निम्नलिखित आवश्यकता आधारित सभी संकर्मों या उनके किसी भाग की प्रणाली संबंधी अपर्याप्तताओं की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन के लिए स्कीम क्षेत्र की पारेषण, उप- पारेषण और वितरण प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी :द्भ

i पारेषण, उप-पारेषण और वितरण प्रणाली में सभी वोल्टता स्तरों पर, उनके सहबद्ध ईएचटी/एचटी/एलटी लाइनों/फीडरों सहित नए उपकेंद्रों का संनिर्माण ।

ii पारेषण, उप -पारेषण और वितरण प्रणाली में सभी वोल्टता स्तरों पर विद्यमान उपकेंद्रों और लाइनों का संवर्धन करना ।

iii एलवीडीएस को एचवीडीएस में संपरिवर्तित करना ।

iv तीन फेज़ प्रणाली को एकल फेज़ प्रणाली में संपरिवर्तित करना ।

v एलवीडीएस सहित विद्यमान एचटी और एलटी लाइनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण ।

vi भारों का पुनःसमूहन, उन्हें दो में विभाजित करना, समतुल्य बनाना तथा विद्यमान अधिक भार रखने वाले एलटी फीडरों का संवर्धन करना तथा कम ऊर्जा खर्च करने वाले वितरण ट्रंसफार्मरों को प्रतिष्ठापित करना ।

vii उपभोक्ता के परिसरों में विश्वसनीय और फेरफार-रोधी(टेंपर प्रूफ) मीटरों का प्रावधान करना ।

viii वितरण ट्रंसफार्मरों के एलटी पक्ष पर मीटर लगाने और विश्वसनीय संरक्षण का प्रावधान करना ।

ix अंतःउपयोगिता मीटरों का प्रावधान करना ।

x एलटी तंत्र में शंट प्रतिकार ।

xi विद्यमान अधिक भार वाले 11 केवी फीडरों को दो में विभाजित करना, एक दूसरे के समतुल्य करना और उनका संवर्धन करना ।

xii सीधे लाइनों पर 11 केवी के स्वचालित स्विच के कपैसीटरों का प्रावधान करना ।

xiii 11 केवी वोल्टता संवर्धकों, सेक्शनलाइज़रों आदि का प्रावधान करना ।

xiv एचटी कपैसीटर बैंक प्रतिष्ठापित करके विभिन्न उपकेंद्रों में उप- पारेषण प्रणाली पर शंट कंपन्सेशन

xv विद्यमान/प्रस्तावित विद्युत उपकेंद्रों में सभी अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले फीडरों को मीटर करने के उपस्कर का प्रावधान करना ।

xvi सेवा कनेक्शनों (उपयोगिता शेयर) का प्रावधान करना और साथ ही इनका आधुनिकीकरण ।

xvii जहां कहीं आवश्यक हो, विद्यमान फीडरों और विद्युत ट्रंसफार्मरों के लिए सर्किट ब्रेकरों, आईसोलेटरों आदि जैसे नियंत्रक उपस्करों का प्रावधान करना ।

xviii संचार और स्वचालन उपस्कर, जिनके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाएं, लोड डिस्पेच, एससीएडीए, संचार, जीआईएस, अनुसंधान और विकास आदि हैं ।

xix ऊर्जा की लेखा परीक्षा के लिए मीटर और अन्य उपस्कर

xx टूटे-फूटे उपकेंद्र उपस्करों का प्रतिस्थापन ।

xxi क्रम सं. (त्) से (न्) पर दिए गए पूर्वोक्त संकर्मों के परिधि क्षेत्र से संबंधित अध्ययन, मूल्यांकन और परामर्श करना, यदि वे संबंधित परियोजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से नहीं आते हैं ।

xxii डीपीआर तैयार करना (स्कीम की 2औ तक की लागत से) ।

5. स्कीम का प्रारुप

स्कीम को कर्जदार द्वारा परियोजना रिपोर्ट की विहित संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा (प्रारुप 1 से 10 में अनुलग्नक-ख् के रूप में संलग्न) । अनुलग्नक में दिए गए प्रारुपों को विशिष्ट किस्म की स्कीम के लिए लागू सीमा के अनुसार प्रयोग किया जा सकेगा । किसी विशिष्ट स्कीम के लिए लागू न होने वाले प्रारुपों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । साथ ही, पारेषण स्कीमों के लिए, जहां उपयोगिताएं रनिंग लोड फ्लो अध्ययन हैं, वहां उन्हें मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा सत्यापित और स्वीकार किया जा सकेगा और लोड फ्लो अध्ययनों से प्रोद्भूत मूल्यों को मूल्यांकन टिप्पण में उपदर्शित किया जा सकेगा और साथ ही प्रस्तुत किए गए प्रारुपों का आवश्यक रूप से उपयोग किए बिना अपेक्षित स्कीम पैरामीटरों की संगणना के लिए उनका उपयोग किया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार स्कीम रिपोर्टों को, अनुलग्नक-ख्ख के रूप में संलग्न प्रारुप के अनुसार उसके मूल्यांकन टिप्पण के साथ आंचलिक प्रबंधक/ मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा कारपोरेट कार्यालय को अग्रेषित किया जा सकेगा ।

6. भार की मांग का प्राक्कलन

निम्नलिखित में से किसी के भी आधार पर स्कीम क्षेत्र के लिए आगामी पांच वर्षों (जिन्हें होराइजन वर्ष कहा गया है) हेतु मांग विकास का विचार किया जाएगा :

(i) नवीनतम टैरिफ आदेश के अनुसार उपयोगिता के लिए मांग विकास; या

(ii) सीईए की नवीनतम उपलब्ध ईपीएस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के लिए मांग विकास ।

तथापि, यदि कुछ विशेष अपेक्षाओं के कारण स्कीम क्षेत्र के लिए प्रक्षेपण सारवान् रूप से अधिक हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा तथा विद्युत उपयोगिता/एसईबी द्वारा उचित न्यायोचित्य के साथ विचारार्थ स्पष्ट किया जाएगा तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के भाग के रूप में सिफारिश किया जाएगा ।

अनुलग्नक-III और IV, सीईए की 16वीं ईपीएस रिपोर्ट, जो नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट है, के अनुसार क्रमशः ऊर्जा के विक्रय और अधिकतम मांग में राज्यवार प्रतिशत वृद्धि उपदर्शित करते हैं (06/07 से 11/12 से संबंधित मूल्यों का उपयोग किया जा सकेगा) । जैसे ही सीईए उसे अद्यतन करता है, नवीनतम अद्यतन मूल्यों का अनुसरण किया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार, भार वृद्धि की संगणना कतिपय ऐसी पारेषण स्कीमों की दशा में अनिवार्य/लागू नहीं होगी, जहां उपकेंद्रों को स्थापित करना और विद्युत निष्क्रमण के लिए लाइनों को बिछाना शामिल है और साथ ही एचवीडीएस, फीडर पृथक्करण आदि जैसी कतिपय विशेष किस्म की वितरण स्कीमों के लिए भी लागू नहीं होगी ।

7. अस्तित्व का मूल्यांकन

कर्जदार की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए, आरईसी के अस्तित्व मूल्यांकन प्रभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम रेटिंग का अनुसरण किया जाए (समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र सं. आरईसी/जेन./पीए/2007-08/4450 तारीख 16 मई, 2007) ।

8. उपयोगिता के उद्‌भासन की सीमा

परियोजना मूल्यांकन के समय, मुख्य परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगिता के लिए अतिशेष प्रत्यय उद्‌भासन उपलब्ध है । इस प्रयोजन के लिए, अनुलग्नक-V के अनुसार प्रारुप तैयार किया जाएगा और मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा अपने मूल्यांकन टिप्पण के साथ संलग्न किया जाएगा ।

9. लागत आकड़े

स्कीमों को, उपयोगिताओं द्वारा उनकी नवीनतम अनुमोदित दर सूची के आधार पर तैयार किया जाएगा और मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि वे नवीनतम दर अनुसूची के अनुसार हैं । यदि दर अनुसूची की तुलना में स्कीम में अपनाई गई लागत में कोई अंतर है तो, मुख्य परियोजना प्रबंधक को उसका औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए । जहां उपयोगिताओं में नवीनतम दर अनुसूची तैयार नहीं की गई है, वहां मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा नवीनतम क्रय आदेशों के अनुसार लागत को अपनाया जा सकता है । विकल्प के रूप में, ऐसे मामलों में उपयोगिता के संनियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त परिवृद्धियों के साथ पुरानी अनुमोदित दर अनुसूची का उपयोग किया जा सकेगा । कुछ भी हो , परियोजना कार्यालयों को अपने कार्यवाही टिप्पण में विद्युत उपयोगिता द्वारा अपनाए गए लागत प्राक्कलनों की स्वीकार्यता के संबंध में अपनी सिफारिशें देनी चाहिए ।

10. परियोजना कार्यान्वयन

क) परियोजना अवधि

स्कीम का निष्पादन, मंजूरी के समय सहमत समयतालिकानुसार प्रचालन अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए (सामान्यतः वितरण के लिए दो वर्ष तथा पारेषण स्कीमों के लिए तीन वर्ष), इसके लिए एक वर्ष की अनुग्रह अवधि दी जाएगी (आईसी के विवेकाधिकार पर) । तथापि, स्कीम कार्यान्वयन अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मंजूरी के समय सहमत प्रचालन अवधि के परे विस्तारित किया जा सकेगा ।

विस्तारण मामलों के लिए सक्षम प्राधिकारी परिपत्र सं. एसईसी-1/195(ए)/2006/205 तारीख 24.07.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

ख) परियोजना का निष्पादन

विद्युत उपयोगिता को अपनी परियोजना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित करना चाहिए कि स्कीम का निष्पादन विभाग द्वारा या अन्यथा किया जाएगा ।

सामान्यतः, कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं (50 करोड़ रुपए से अधिक ऋण राशि वाली) की मानीटरिंग और गुणवत्ता का आवश्वासन परियोजना का अभिन्न अंग होना चाहिए और यह काम किसी तीसरे पक्षकार/स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किया जाएगा । इसकी लागत आरईसी से प्राप्त ऋण सहायता का भाग होगी ।

पूरी होने के पश्चात् परियोजना का मूल्यांकन (यथा लागू) कर्जदार द्वारा किसी तीसरे पक्षकार/स्वतंत्र अभिकरण द्वारा कराया जाएगा, इसकी लागत भी आरईसी से प्राप्त ऋण सहायता का भाग होगी ।

11. विचलन प्रस्ताव

क) उस दशा में जहां भौतिक क्रियाकलापों में कुछ विचलन है (स्वीकृत परियोजना की तुलना में), वहां परियोजना अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विचलन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर विचार किया जाएगा :

(i) किए गए विचलन तकनीकी रूप से न्यायोचित हों ।

(ii) आरईसी की वित्तीय प्रतिबद्धता लागत वृद्धि, यदि कोई हो, सहित मूल ऋण राशि तक सीमित होगी (नीचे 11ख और 12 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर) ।

(iii) क्षति घटाने, ऊर्जा के विक्रय और संकर्मों की सकल लागत में परिवर्तनों, यदि कोई हों, के बावजूद स्कीम को अनुबंधित संनियमों (विचलनों सहित) के अनुसार वहनीय मापदंडों की पूर्ति करते रहना चाहिए ।

(iv) विचलन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्कीम के विरुद्ध अंतिम प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जाएगा और इसे इस राशि के जारी होने से पूर्व आरईसी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । इस विचलन प्रस्ताव को ऊपर (i), (ii) और (iii) के ब्यौरों के साथ परिवर्तन को उचित ठहराते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त विचलन प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए शक्तियां परिपत्र सं. एसईसी-1/195(ए)/2006/233 तारीख 18.08.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होंगी ।

ख) तथापि, संकर्मों के परिधि क्षेत्र में परिवर्तन के कारण ऋण राशि में वृद्धि के लिए, विहित तकनीकी और वित्तीय वहनीयता मानदंडों को पूरा करने वाले पुनरीक्षित प्रस्ताव के अधीन रहते हुए मूल स्वीकृत ऋण के 20औ तक पर विचार किया जा सकेगा ।

12. परियोजना वित्तपोषण

क) यदि कर्जदार द्वारा वांछा की जाए तो परियोजना लागत के अधिकतम 20औ तक लागत-वृद्धि के प्रावधान (अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के कारण) की अनुमति दी जाएगी । यह विभाग द्वारा या टर्न की या आंशिक टर्न की पद्धति पर निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के लिए लागू होगा । तथापि, वहनीयता की परीक्षा 20औ लागत वृद्धि सहित पूंजी आधार पर की जाएगी ।

ख) जहां कहीं कर्जदारों ने मूल स्वीकृति में मूल्य वृद्धि के मद्दे नजर ऐसी लागत वृद्धि के लिए मांग नहीं की है, किंतु अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के कारण, वास्तवित लागत स्वीकृत राशि से अधिक हो जाती है, वहां कर्जदार के पास मूल ऋण राशि के 20औ की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए वास्तविक रूप से उपगत व्यय के आधार पर परियोजना लागत को पुनरीक्षित करने का विकल्प होगा और वह उचित वित्तीय औचित्य देते हुए पुनरीक्षित परियोजना लागत के लिए निगम के अनुमोदन की मांग कर सकेगा ।

ग) उक्त बातों के बावजूद, ऐसी स्कीमों की दशा में जिनका निष्पादन प्रतियोगी बोली के माध्यम से टर्न की आधार पर किया जा रहा है, आरईसी द्वारा वित्तपोषण के लिए पात्र स्कीमों की सकल लागत, उपयोगिता के सक्षम प्राधिकारी/संकर्म प्रदान करने के पश्चात् विनियामक द्वारा अनुमोदित लागत होगी । ऐसे मामलों में दिशा-निर्देशों के अनुसार, यथा लागू वहनीयता की पुनः जांच की जाएगी ।

13. ऋण राशि में वृद्धि

पैरा 11(ख) के अनुसार संकर्मों के परिधि क्षेत्र में परिवर्तन और पैरा 12(ख) के अनुसार मूल्य वृद्धि, दोनों के कारण ऋण राशि में वृद्धि पर, स्वीकृत मूल ऋण राशि के कुल 20औ की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा ।

14. संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)

निगम, 100 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि वाली ऐसी स्कीमों के लिए जिन्हें दो वर्ष से अधिक की अवधि में कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है, संनिर्माण के दौरान ब्याज के वित्तपोषण पर विचार कर सकेगा ।

15. ऋण का आहरण

क) ऋण राशि की पहली किस्त ऋण दस्तावेजों के निष्पादन और मंजूरी में अधिकथित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने पर जारी की जाएगी । पहली किस्त का जारी होना निम्नानुसार विनियमित होगा :

(i) यदि ऋण राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक है, तो स्कीम को उच्च मूल्य स्कीम समझा जाएगा और पहली किस्त ऋण राशि के 10औ तक सीमित होगी ।

(ii) ऐसी स्कीमों की दशा में, जहां ऋण राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक है किंतु 100 करोड़ रुपए से कम है, पहली किस्त ऋण राशि के 15औ तक सीमित होगी ।

(iii) 50 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि वाली स्कीमों के लिए पहली किस्त के रूप में ऋण राशि के 20औ तक विचार किया जा सकेगा ।

(iv) इसके अतिरिक्त, टर्न की परियोजनाओं की दशा में, जहां साधारणतया विद्युत यूटिलिटियां ठेकेदारों को अग्रिम प्रदान करती हैं, आरईसी, यदि यूटिलिटी द्वारा मांग की जाए तो इस अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए ऋण राशि के 15औ तक ऐसे अग्रिम की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए ऐसे अग्रिमों के समतुल्य पहली किस्त उपलब्ध करा सकेगा ।

(v) पूर्वोक्तानुसार अग्रिम ऋण केवल वहीं उपलब्ध कराया जाएगा जहां कर्जदार ने आरईसी को पर्याप्त स्वीकार्य प्रतिभूति उपलब्ध कराई है ।

ख) ऋण की दूसरी और बाद की किस्तें प्रारंभिक अग्रिम के अनुपातत: समायोजन के पश्चात् कर्जदार द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों में उपदर्शित संकर्म की प्रगति पर निर्भर करते हुए अनुपातत: प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाएंगी । तथापि, स्कीम की ऋण राशि के 50औ से अधिक की ऋण किस्तों को जारी करने से पूर्व आरईसी/एमसी/2006-07/1302 तारीख 28.08.2006 द्वारा जारी मानीटरिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्यौरेवार मानीटरिंग की जाएगी ।

ग) ऋण के अंतिम 10औ की राशि को यथा लागू अंतिम क्षेत्र मानीटरिंग/मूल्यांकन के पश्चात् और स्कीम की मंजूरी के अन्य निबंधनों और शर्तों के पूरा किए जाने पर जारी किया जाएगा ।

16. वित्तीय वहनीयता

(i) स्कीम को वहनीय माना जाएगा यदि वह स्कीम के अधीन किए गए निवेश पर न्यूनतम 12औ की वित्तीय आंतरिक प्रतिलाभ दर (एफआईआरआर) प्रदान करती है । सामान्यत: वहनीयता संबंधी संगणनाएं, क्षति से बचने और साथ ही ऊर्जा के अतिरिक्त विक्रय के मद्दे नजर होराइजन वर्ष में हुए फायदों पर आधारित होंगी । तथापि, यथा लागू अन्य परिमाण बताने योग्य फायदों पर भी समुचित औचित्यों और संगणनाओं के साथ, जहां कहीं लागू/उपलब्ध हों, विचार किया जा सकता है । संगणना के

लिए पूंजी आधार, स्कीम की लागत है जिसके अंतर्गत मूल्य वृद्धि प्रभार, यदि कोई हों, भी आते हैं ।

(12औ एफआईआरआर का उपरोक्त संनियम आरईसी के परिपत्र सं. आरईसी/टीएंडडी/एफ-2/2006-07 तारीख 19.05.2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार है) ।

परियोजना के कारण हुए फायदों और इसकी वित्तीय वहनीयता की संगणना के लिए ब्यौरेवार पद्धति अनुलग्नक-ख् में दी गई है ।

(ii) तथापि, कंप्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाएं, लोड डिस्पेच, एससीएडीए, संचार, जीआईएस, अनुसंधान और विकास, अंतः उपयोगिता मीटर, डीटी मीटर आदि जैसी नवीन प्रौद्योगिकी को आरंभ करने की स्कीमों और ऊर्जा की लेखा परीक्षा, अध्ययन, मूल्यांकन, परामर्श आदि से संबंधित स्कीमों के लिए आईआरआर को संगणित करना अपेक्षित नहीं है ।

(iii) इसके अतिरिक्त, पारेषण स्कीमों की दशा में आईआरआर को संगणित करना अपेक्षित नहीं है, शर्त यह कि स्कीमें एसईआरसी द्वारा अनुमोदित या उन्हें प्रस्तुत की गई हों । आपवादिक मामलों में, ऊपर परिभाषित स्कीमों से भिन्न स्कीमों पर भी विनिर्दिष्ट मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है । ऐसे मामलों में, यूटिलिटी यह वचनबंध करेगी कि इन स्कीमों को एसईआरसी द्वारा अगले वर्ष के अनुमोदन में सम्मिलित किया जाएगा । किसी पारेषण स्कीम को मंजूर करते समय, अन्य एफआई/उपयोगिता के स्वयं के संसाधनों से मंजूर की गई स्कीमों सहित पहले से मंजूर की गई स्कीमों का भी संज्ञान लिया जाएगा ।

17. इन दिशा-निर्देशों के साथ संयुक्त रूप से पढ़े जाने हेतु अन्य दिशा-निर्देश :

(i) पत्र सं. आरईसी/टीएंडडी/गाइडलाइंस/2006-07/689 तारीख 4.5.2006 द्वारा जारी आरईसी स्कीमों की मंजूरी वापिस लेने, उन्हें रद्द करने और बंद करने संबंधी दिशा-निर्देश ।

(ii) पत्र सं. आरईसी/टीएंडडी/पी:एसआई-ईएचवी गाइडलाइंस/2006-07/687 तारीख 4.5.2006 द्वारा जारी ऋण पोर्टफोलियों के पी:एसआई प्रवर्ग के अधीन प्रणाली सुधार परियोजनाओं के लिए प्रचलित दिशा-निर्देशों को पारेषण प्रणाली - एंडेंडा में निवेश के लिए आरईसी से ऋण सहायता ।

(iii) पत्र सं. आरईसी/एमसी/2006-07/1302 तारीख 28.08.2006 द्वारा जारी मानीटरिंग दिशा-निर्देश ।

अनुलग्नक-I

पी : एसआई स्कीमों के लिए प्रारुप

(स्कीम के प्रारुप संबंधी प्रचालन दिशा-निर्देशों का पैरा 5 देखें)

परियोजना रिपोर्ट को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि उसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट हों :

(क) परियोजना की उद्देशिका या प्रस्तावना ।

(ख) निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए कार्यकारी संक्षेप :–

i. स्कीम का नाम, परियोजना का इलैक्ट्रिकल अधिकार क्षेत्र , अर्थात् सर्कल/प्रभाग/उप प्रभाग या जिला,प्रशासनिक अधिकारिता, अर्थात् जिला, ब्लॉक, तालुका या तहसील का नाम ।

ii. परियोजना का उद्देश्य, इसकी आवश्यकता और औचित्य ।

iii. उस दशा में जहां स्कीम नेटवर्क आधारित है, अर्थात् किसी 132 केवी उपकेंद्र से उद्भूत होती है, वहां बैकअप ग्रिड उपकेंद्र और साथ डाउनस्ट्रीम नेटवर्कों, उपकेंद्रों और अन्य अधिष्ठापनों के ब्यौरे/जानकारी ।

iv. परियोजना के अधीन उपबंधित प्रमुख संकर्मों का सारांश और उनकी लागतें तथा साथ ही उनसे संभावित फायदे जैसे कि हानि से बचाव, ऊर्जा का अतिरिक्त विक्रय आदि ।

v. स्कीम क्षेत्र/जिले में विद्यमान और अनुमानित विद्युत उपलब्धता की प्रास्थिति ।

(ग) स्कीम क्षेत्र और राज्य में भार वृद्धि का पैटर्न और साथ ही स्कीम में होराइजन वर्ष (5वें वर्ष) तक विचार की गई वृद्धि दर तथा भार की मांग का प्राक्कलन ।

प्रारुप 1-10 के अनुसार लागू सीमा तक निम्नलिखित जानकारी :

(घ) निम्नलिखित प्रणाली प्रास्थिति के लिए सभी विद्यमान उपकेंद्रों के अवस्थान और प्रतिष्ठापित क्षमता और सभी उपकेंद्रों और लाइनों पर भार की मांग (सभी वोल्टता स्तरों पर), सभी फीडरों का वोल्टता विनियमन/ऊर्जा अंतःनिवेश/वार्षिक ऊर्जा हानि/ऊर्जा का विक्रय, उप केंद्रों और लाइनों पर अधिष्ठापित कपेसीटरों आदि को सम्मिलित करते हुए परियोजना क्षेत्र की प्रणाली प्रास्थिति :

i. विद्यमान प्रणाली और विद्यमान लोड की मांग ।

ii. विद्यमान प्रणाली (प्रस्तावित उपातंरणों रहित) लहोराइजन लोड की मांग ।

iii. उपांतरित प्रणाली (परियोजना के अधीन प्रस्तावित उपांतरणों सहित) और होराइजन लोड की मांग ।

(ङ) प्रस्तावित नेटवर्क की योजना और परियोजना में प्रस्तावित उपकेंद्रों, लाइनों और उपस्कर का आकार ।

(च) नए/सुधार किए गए उपकेंद्रों के अवस्थान और क्षमता, सभी नए/सुधार किए गए/पुनः रुट प्रदान की गई लाइनों का रुट तथा कंडक्टर का आकार, कपेसीटरों और स्कीम में प्रस्तावित सभी अन्य संकर्मों सहित प्रस्तावित संकर्मों के ब्यौरे ।

(छ) उपांतरित प्रणाली में भार के अंशःभाजन के ब्यौरे (उपकेंद्र और फीडर) तथा होराइजन लोड परिस्थितियां ।

(ज) लागत प्राक्कलनों के आधार वर्ष के साथ स्कीम में प्रस्तावित संकर्म की सभी मदों का ब्यौरेवार लागत प्राक्कलन ।

(झ) ब्यौरेवार वहनीयता संगणनाएं ।

(ञ) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन योजना ।

(ट) नक्शे-राज्य ग्रिड नक्शे, जिला विद्युत नक्शे, स्कीम क्षेत्र नक्शे : स्कीम के अधीन उपांतरण करने से पूर्व और पश्चात् ।

(ठ) प्रस्तावित उपकेंद्रों का ले-आउट/स्कीमवार रेखाचित्र ।